संख्या-1/2016/क0नि0-4-1695/11-2015-300(33)/2012

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2016

विषयः- जनपद अम्बेडकरनगर में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 के बजट से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-फैजाबाद-03/का0भ0- अम्बेडकरनगर निर्माण/ 2015-16/ 598/ वाणिज्य कर, दिनांक 20.11.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर कार्यालय भवन अम्बेडकरनगर का निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 382.48 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 182.48 लाख (रूपये एक करोड़ बयासी लाख अड़तालिस हजार मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(5) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(7) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-89 के लेखा शीर्षक-''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनेत्तर-01-कार्यालय भवन - 051 -

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माण - 07 - जनपद अम्बेडकरनगर में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-2/2015/बी- 1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव

संख्या-1/2016/क0नि0-4-1695(1)/11-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, अम्बेडकर नगर।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।